सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

## NOTICE

**फा. सं.: NCST/DEV-1213/MP/24/2022-ESDW** **दिनांक: 15.06.2023**

**श्री ऋषव गुप्ता,**
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
ज़िला देवास
कलेक्टर कार्यालय,
देवास, मध्य प्रदेश -455001,
ई-मेल: dmdewas@nic.in

**विषय: अनुसूची जनजाति हेतु आरक्षण कोटे मे राशन दुकान आवेदन की ऑनलाइन तिथि को आरक्षण के अनुरूप करने के संबंध मे श्री दिलीप धंवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जन जाति उत्थान महासंघ (भारत) का दिनांक 07.12.2022 का अभ्यावेदन।**

**महोदय/महोदया,**

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक 03.03.2023 के संदर्भ में श्री दिलीप धंवारी, राष्ट्रीय आध्यक्ष अनुसूचित जाति जन जाति उत्थान महासंघ से दिनांक 11.04.2023 का रेजोइन्डर आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपको भेजने का निर्देश हुआ है।

2. आपसे अनुरोध किया जाता है की रेजोइन्डर में उठाए गए बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गयी कार्रवाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को इस पत्र प्राप्ति के **15 दिनों की अवधि** के भीतर अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि अग्रिम कार्रवाई हेतु मामलें को आयोग के समक्ष रखा जा सके।

**कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।**

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. **श्री दिलीप धंवारी,**
राष्ट्रीय आध्यक्ष,
अनुसूचित जाति जन जाति उत्थान महासंघ (भारत),
आयोध्या बस्ती हरिजन कॉलोनी,
वार्ड नं. 10 कन्नोद, तहसील-कन्नोद,
जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455332

2. **एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।**